



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—: आदेश —:

नया रायपुर, दिनांक 18/02/2014

क्रमांक एफ 2-7/2013/10-2/बजट: राज्य शासन एतद्वारा यह निर्णय लेता है कि वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे संबंधित कार्यों के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु G.I.S. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से किया जावेगा। इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी E-Greenwatch Operation Guidelines का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 18/02/2014

पृष्ठा.क्र एफ 2-7/2013/10-2/बजट:
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की ओर उनकी टीप क्रमांक 352/एन/बजट-2/वित्त/चार 04-00452 दिनांक 29.07.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर।
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधिय पादप बोर्ड रायपुर।
9. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
10. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय, वन्यप्राणी एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़।
11. समस्त जिला कलेक्टर।
12. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर अग्रेषित। कृपया उक्त आदेश को वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उ.मू.लां/अवर
तत्काल टीप से
कलेक्टर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास/योजना)



विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग